न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राकेश कुमार शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 20/2015

अपीलांट–
अमीन पुत्र ताजा जाति मुसलमान
निवासी बींजासर तहसील सेड़वा
जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –
1. तहसीलदार सेड़वा
2. जायना पत्नी ईस्माइल
3. रसूला पत्नी सिकू
4. रहमत पत्नी ओसमान
5. मुन्नी पत्नी मुरीद
6. आमद पुत्र ताजा
जाति मुसलमान निवासी
बींजासर तहसील सेड़वा

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश ग्राम जालीखेड़ा के नामान्तरकरण सं. 175 स्वीकृति दिनांक 08.01.02 जो तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री महेन्द्रसिंह चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री राणाराम गौड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स 2,4व5 की ओर से उपस्थित।
3. राजकीय पैरोकार, रेस्पोडेंट सं. 1 की ओर से उपस्थित।
4. रेस्पोडेंट सं. 3 व 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राज.)

निर्णय

दिनांक : 30/12/2019

1. अपीलांट्स की ओर से यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत मौजा बींजासर के नामान्तरकरण सं. 2006 पर तहसीलदार सेड़वा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.06.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा बींजासर के खसरा नम्बर 479/12 रकबा 64–04 बीघा भूमि की खातेदार मारियम बेवा लाला के फोत होने पर हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण सं. 1076 दायर कर ग्राम पंचायत बींजासर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे दिनांक 22.08.1995 को स्वीकृत कर लिया गया। ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत उक्त नामान्तरकरण सं. 1076 के विरूद्ध वर्तमान रेस्पोडेंट सं. 2से4 जायना व अन्य द्वारा एक अपील

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत उपखण्ड अधिकारी चौहटन के समक्ष प्रस्तुत की गई। विद्वान उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील पर सुनवाई करते हुए अपने निर्णय दिनांक 09.12.2014 के द्वारा अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण अपास्त कर दिया तथा मामला तहसीलदार सेड़वा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि मृतका मारियत बेवा लाला के वारीसों की जांच कर विधिसम्मत रूप से वैध पाये जाने पर अपीलार्थीगण जायना पुत्री लाला पत्नी ईस्माइल, रसूला पुत्री लाला पत्नी सिकू, राहमत पुत्री लाल पत्नी ओसमान, मुन्नी पुत्री लाल पत्नी मुरीद का रेस्पोडेंट के साथ नामान्तरकरण पारित किया जावें। उपखण्ड अधिकारी चौहटन के इस निर्णय की पालना में तहसीलदार सेड़वा ने अपने पत्र क्रमांक 474 दिनांक 18.05.2015 के द्वारा हल्का पटवारी बींजासर को न्यायालय निर्णय अनुसार नामान्तरकरण दायर करने के निर्देश प्रदान किये गये, जिस पर विवादित भूमि खसरा नम्बर 479/12 रकबा 64–04 बीघा नामान्तरकरण सं. 2006 अपीलांट व रेस्पोडेंट सं. 2से6 के नाम दायर कर स्वीकृति हेतु तहसीलदार सेड़वा के समक्ष प्रस्तुत किया। इस पर तहसीलदार सेड़वा द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत बींजासर से स्व. मारियत पत्नी लाला के वारीसों की तस्दीक कराते हुए उक्त नामान्तरकरण सं. 2006 दिनांक 22.06.2015 को स्वीकृत कर दिया। तहसीलदार सेड़वा द्वारा स्वीकृत उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध अपीलांट द्वारा यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.09.2015 को प्रस्तुत की गई तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किये गए हैं।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि उपखण्ड अधिकारी चौहटन के समक्ष प्रस्तुत अपील सं. 01/2014 में पारित निर्णय दिनांक 09.12.2014 के द्वारा नामान्तरकरण सं. 1076 को अपास्त करते हुए विवादित भूमि में स्व0 मारियत बेवा लाला के विधिसम्मत रूप से पाये जाने पर रेस्पोडेंट सं. 2से5 का नामान्तरकरण पारित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे। तहसीलदार सेड़वा द्वारा इस निर्णय की पालना में कोई जांच कार्यवाही का प्रकरण संस्थित नहीं किया तथा सीधे ही हल्का पटवारी को रेस्पोडेंट सं. 2से5 के नाम सम्मिलित करते हुए नामान्तरकरण पारित करने का आदेश दिनांक 18.05.2015 जारी कर दिया। इस पर हल्का

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

पटवारी द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 2006 दायर कर तहसीलदार सेड़वा के समक्ष प्रस्तुत किया तथा जिस पर अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही एकपक्षीय तौर पर स्वीकृत कर दिया । इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरकरण अवैध एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।

5. अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 2006 पर आदेश दिनांक 22.06.2015 को पारित करने का पूर्व में अपीलांट को कोई ज्ञान नहीं था व अपीलांट का कब्जा विवादित भूमि पर लगातार चला आ रहा था। अभी कुछ रोज पूर्व रेस्पोडेंट सं. 2 ने अपीलांट का कब्जा हटाने का प्रयास किया तब अपीलांट द्वारा जांच करवाई तथा नामान्तरकरण सं. 2006 की नकल प्राप्त की जो दिनांक 22.09.2015 को प्राप्त हुई। इस प्रकार अपीलांट को नकल प्राप्त होने पर सर्वप्रथम इसकी जानकारी हुई एवं जानकारी होने से अन्दर मयाद यह अपील प्रस्तुत की गई हैं, जिसे उपर्युक्त उल्लेखित आधारों पर अन्दर मयाद शुमार की जाकर स्वीकार की जावें तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 2006 अपास्त फरमाया जावें।

6. रेस्पोडेंट सं. 2, 4 व 5 के अधिवक्ता द्वारा जवाब मे निवेदन किया कि तहसीलदार सेड़वा द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 2006 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन के निर्णय दिनांक 09.12.2014 की पालना में स्व0 मारियत बेवा लाला के वारीसान की जांच करते हुए पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा इस अपील में अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 2006 को चुनौती देते हुए अपास्त करने का अनुतोष चाहा हैं जबकि उक्त नामान्तरकरण तहसीलदार सेड़वा के आदेश दिनांक 18.05.2015 की पालना में भरा गया हैं, ऐसे में जब तक उक्त आदेश को चुनौती नहीं दी जाती है तब तक उसकी पालना में भरा गया नामान्तरकरण अपील योग्य कतई नहीं हैं। तहसीलदार सेड़वा द्वारा उपखण्ड अधिकारी चौहटन के निर्णय की पालना में स्व0 मारियत बेवा लाला के वारिसान की तस्दीक ग्राम पंचायत से करवाने के पश्चात की अपीलाधीन नामान्तरकरण दायर किया गया हैं तथा रेस्पोडेंट सं. 2से5 स्व0 मारियत की विधिसम्मत वारीस हैं जिनका पूर्व नामान्तरकरण सं. 1076 में भूलवश दर्ज करने से छूट गया था। इस प्रकार तहसीलदार सेड़वा द्वारा सम्पन्न विधिसम्मत कार्यवाही के अनुक्रम में स्वीकृत नामान्तरकरण में किसी प्रकार की अवैधता नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित हैं जो खारिज योग्य हैं।

7. हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राज.)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

मौजा बींजासर के खसरा नम्बर 479/12 रकबा 64–04 बीघा भूमि की खातेदार मारियम बेवा लाला के वारीसों की जांच कर विधिसम्मत रूप से वैध पाये जाने पर वारीसान के पक्ष में नामान्तरकरण पारित किये जाने का निर्णय दिनांक 09.12.2014 उपखण्ड अधिकारी चौहटन द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील सं. 1/2014 में पारित किया गया। उपखण्ड अधिकारी चौहटन के इस निर्णय की पालना में तहसीलदार सेड़वा ने अपने पत्र क्रमांक 474 दिनांक 18.05.2015 के द्वारा हल्का पटवारी बींजासर को न्यायालय निर्णय अनुसार नामान्तरकरण दायर करने के निर्देश प्रदान किये गये, जिस पर विवादित भूमि खसरा नम्बर 479/12 रकबा 64–04 बीघा नामान्तरकरण सं. 2006 अपीलांट व रेस्पोडेंट सं. 2से6 के नाम दायर कर स्वीकृति हेतु तहसीलदार सेड़वा के समक्ष प्रस्तुत किया। इस पर तहसीलदार सेड़वा द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत बींजासर से स्व. मारियत पत्नी लाला के वारीसों की तस्दीक कराते हुए उक्त नामान्तरकरण सं. 2006 दिनांक 22.06.2015 को स्वीकृत कर दिया। इस प्रकार सक्षम भू–अभिलेख अधिकारी के रूप में तहसीलदार सेड़वा द्वारा आदेश दिनांक 18.05.2015 धारा 135(2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत पारित किया गया हैं तथा भू–अभिलेख अधिकारी के रूप में तहसीलदार द्वारा पारित किसी आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत सुनवाई क्षेत्राधिकारी भू–अभिलेख निदेशक के रूप में सम्भागीय आयुक्त को हैं। ऐसे में सक्षम प्राधिकारी के आदेश की पालना में भरे गये नामान्तरकरण पर उसके दायर किये जाने के मूल आदेश को चुनौती दिये बिना यह नामान्तरकरण अपील चलने योग्य नहीं हैं तथा काबिल खारिज हैं।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने के साथ तकनीकी रूप से चलने योग्य नहीं होने से खारिज की जाती हैं।

9. निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार शर्मा)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Sharma
Date: 2020.02.01 14:09:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: